थाना गढीपुख्ता

थाना गढ़ीपुख़्ता क्षेत्रांतर्गत ग्राम पलठेड़ी के जंगल में हुई युवक की हत्या का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल एवं रक्त रंजित कपडे बरामदः-

दिनांक 02/03.07.2021 की रात्रि करीब 3:00 बजे थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस को सुनील निवासी कच्ची गढ़ी द्वारा सूचना दी गई ,कि कच्ची गढ़ी के जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मय कोर्स के मौके पर पहुंचे, तो पाया कि एक व्यक्ति का शव प्रमोद निवासी कच्ची गढ़ी के खाली खेत में पड़ा है। जिसके सिर पर चोट के निशान मौजूद थे। पास ही पानी में एक मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ मिला। मोबाइल फोन के जरिये मृत पाए गए व्यक्ति की पहचान सरवर पुत्र सादा निवासी ग्राम पल्ठेड़ी थाना गढ़ीपुख़्ता जनपद शामली के रूप में हुई। मृतक के शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे की मृत्यु के कारणों की जानकारी हो सके। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई मनव्वर द्वारा 03 व्यक्तियों को नामजद कर उनके विरुद्ध थाने पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तथा थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस को घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र एवं सही जानकारी कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्य हेतु सर्विलांस व एसओजी टीम को भी लगाया गया। क्षेत्राधिकारी थानाभवन के नेतृत्व में थाना गढीपुख्ता पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की टीम द्वारा घटना कारित करने वाले हत्याभियुक्त के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई। थाना गढीपुख्ता पुलिस व अन्य टीम द्वारा हत्याभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.07.2021 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ग्राम पलठेड़ी के जंगल में हुई युवक सरवर की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त दबदा उर्फ आरिफ को आलाकत्ल ईंट सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही घटना के समय हत्याभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े शर्ट व पेंट जो मृतक के रक्त से रंजित हो गये थे भी बरामद हुए है। जिसके संबंध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यवक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना का सफल अनावरण करने के साथ ही नामजद अभियुक्तगण की घटना में भूमिका के संबंध में थाना पुलिस द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है।

अपराध का तरीकाः- गिरफ्तार अभियुक्त से हुई पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि वह और मृतक नशा करने के आदी थे। जंगल में घटना वाले दिन दोनों साथ में नशा कर रहे थे कि बात-बात में आपस में विवाद हो गया, जिस पर उसने पास पड़ी ईट उठाकर मृतक के सिर में दे मारी। मृतक बचने के लिए भागा और गिर गया जिस पर गुस्से में उसने मृतक के सिर पर गिरने के बाद उसी ईट से तीन-चार प्रहार और किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की जेब में रखे मोबाइल को उसने पास ही पानी में डाल दिया था, जिससे कि वह काम न करे और मृतक के संबंध में उसके परिजनों को जानकारी ना हो। घटना के बाद वह भाग गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दबदा उर्फ आरिफ पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम पलठेड़ी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.आलाकत्ल ईंट।

2.हत्याभियुक्त के मृतक के रक्त से रंजित कपड़े।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.का0 सचिन कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

4.का0 मधुर कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

5.का0 सौरभ कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम सिकन्दपुर के जंगल हुई युवक की हत्या का किया सफल अनावरण, पति की हत्या कराने में शामिल पत्नी गिरफ्तारः-

दिनांक 26.06.2021 को थाना झिंझाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिकन्दरपुर के जंगल में एक व्यक्ति अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना मय फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां एक युवक का अज्ञात शव पड़ा मिला है, जिसकी शिनाख्त हेतु काफी प्रयास किये गये परन्तु मृतक की पहचान नही हो सकी। शव का पंचनामा की कार्यवाही कर मृत्यु के कारणों की जानकारी हेतु पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा निरन्तर प्रयास किये जाने के फलस्वरूप मृकत की पहचान के लिए विभिन्न माध्यमों से राकेश पुत्र सरदार मलकीत सिंह निवासी ग्राम चकमाली थाना समराला जनपद लुधियाना पंजाब के रूप में हुई। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई लखवीर सिंह द्वारा 04 व्यक्तियों के

नामजद व 01 अन्य अज्ञात के विरुद्ध थाने पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तथा थाना झिंझाना पुलिस को घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र एवं सही जानकारी कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । इस कार्य हेतु सर्विलांस व एसओजी टीम को भी लगाया गया । क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की टीम द्वारा घटना कारित करने वाले हत्याभियुक्त के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई। थाना झिंझाना पुलिस व अन्य टीम द्वारा हत्याभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.07.2021 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सिकन्दरपुर के जंगल में हुई हत्या में शामिल महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । हत्या में शामिल अन्य हत्याभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी।

<u>**अपराध कारित कराने का तरिकाः-**</u> गिरफ्तार महिला अभियुक्ता द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि उसका पति शराबी था। जिस कारण वह जमीन अपने नाम कराना चाहती थी। इसी बात को लेकर आये दिन झगड़ा होता रहता था। यह बात उसने अपने माता-पिता और भाई को बताई तो उसका भाई सतेन्द्र पाल पुत्र इन्द्रसिंह निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत अपने दोस्त जयदेव व गोल्टी पुत्र लोकेन्द्र निवासीगण ग्राम पिण्डौरा थाना झिंझाना जनपद शामली घर पर आये। मौका मिलने पर उसके भाई व दोस्त राकेश को बुलाकर ले गये और उसकी हत्या कर शव को सिकन्दरपुर के जंगल में फेंक दिया और वो वहां से भाग गये।

<u>**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-**</u>

1.गुरप्रीत उर्फ गीता पत्नि राकेश कुमार निवासी ग्राम चकमाफी थाना समराल जनपद लुधियाना पंजाब।

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**</u>

1. श्री श्यामवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री सुनील सोलंकी थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 पंकज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. म0का0 गुलशाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

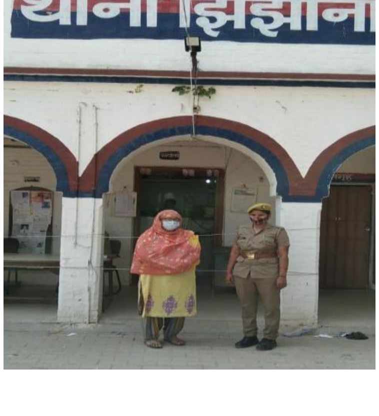

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 110 ग्राम अवैध स्मैक एवं तस्करी में बुलेट मोटरसाइकिल बरामदः-

दिनांक 05.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी/बरामदगी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर 110 ग्राम अवैध स्मैक एवं तस्करी में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जबकि इसका 01 साथी मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी हेतु तलाश जारी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभेयुक्तः-

1-नदीम उर्फ महिन्द्रा पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कैराना जनपद शामली।

नाम पता फरार अभियुक्तः-

1.आमिल पुत्र कामिल निवासी ग्राम लोहीपुर-माल्लीपुर थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 445/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

2- मु0अ0सं0 86/20 धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध स्मैक 110 ग्राम।

2- तस्करी में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल नम्बर यू0पी0-19-एल-4916।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।

2-का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3-का0 मुस्तफा खान थाना कैराना जनपद शामली।

4-का0 पवन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>पुलिस अधीक्षक शामली के माल निस्तारण के आदेश पर थाना कैराना पुलिस द्वारा 830 पेटी अवैध शराब कराई गई नष्टः-</u>

पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थानों के निरीक्षण में बढते हुए मुकदमाती मालों की संख्या के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों को माल निस्तारित किये जाने हेतु आदेश दिये गये थे। जिससे कि थानों में माल निस्तारित होने से नये मालों के लिए जगह उपलब्ध रहे। इस क्रम में थाना कैराना द्वारा विभिन्न मुकदमों से संबंधित बरामद देशी/विदेशी अवैध शराब की कुल 830 पेटियों के संबंध में अभिलेखीकरण करते हुए मा0 न्यायालय को रिपोर्ट देकर माल नष्ट कराये जाने हेतु आदेश कराये गये। आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी कैराना, तहसीलदार शामली, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक कैराना एवं आबकारी निरीक्षक शामली की टीम द्वारा थाने के मालखाने से उक्त माल को निकलवाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्जन स्थान पर ले जाकर नष्ट कराई गई। नष्ट शराब का बाजारू मूल्य करीब 50 लाख रुपये आंका गया है। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कैराना द्वारा कृत कार्यवाही का अनुसरण कर थानों में जमा अवैध शराब को नष्ट कराये जाने में तेजी लाये जाने के लिए कहा गया है।